

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह

द्वारा वांछित/वारण्टी/गैंगेस्टर/अवैध असलहा/बलात्कार/पोक्सो

आदि से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरादमगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों का विवरण-

थाना जहानागंज

एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 24.10.2019 को श्री बृजेश कुमार चौहान पुत्र स्व० बसन्त चौहान (चौकीदार) ग्राम नरेहथा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21.10.2019 को प्रातः 7.00 बजे नरेहथा पुल पर टहलने गया था तो देखा कि सड़क के पश्चिम तरफ एक अज्ञात व्यक्ति का शव कम्बल में लपेटा हुआ पड़ा हुआ है। तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 228/19 धारा 279/304 A बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201/394/411/413/414/120 बी भादवि का जुर्म पाये जाने पर उक्त मुकदमा तरमीम की गयी तथा प्रकाश में आये अन्य अभियुक्त के साथ अभियुक्त राममिलन यादव पुत्र रामबहाल यादव ग्राम भीखमपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज ज्ञानू प्रिया मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 228/19 धारा 302/201/394/411/413/414/120 बी भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राममिलन यादव पुत्र रामबहाल यादव ग्राम भीखमपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को समय करीब 11.40 बजे दिन में परदेशी मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 228/19 धारा 302/201/394/411/413/414/120 बी भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

राममिलन यादव पुत्र रामबहाल यादव ग्राम भीखमपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

प्र०नि० जहानागंज श्रीमती ज्ञानू प्रिया थाना जहानागंज मय हमराह जनपद आजमगढ़।

थाना महाराजगंज

मारपीट के मामले में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

वादी (लेखपाल) श्री सुधीर जायसवाल द्वारा थाना महाराजगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरे द्वारा बाढ़ राहत सामग्री बांटे जाने हेतु पूर्व में तैयार की गयी सूची से हटकर अभियुक्त द्वारा बंधे से दक्षिण लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित नहीं थे, को राहत सामग्री बांटने हेतु दबाव बनाना तथा मना करने पर अभियुक्त द्वारा लेखपाल सुधीर जायसवाल को मारना पीटना, धमकी देना, कार्य सरकार में बाधा डालना, कट्टा तान लेना व बाउचर को फाड़ देना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 163/20 धारा 147, 323, 332, 353, 427, 506 भादवि बनाम चन्द्रभान यादव पुत्र रामफेर सा० नौ०दे०ज०किता प्रथम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों के गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 03.09.20 को उ०नि० छुन्ना सिंह, उ०नि० राजेन्द्र प्रसाद यादव व उ०नि० राजेश प्रसाद मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 163/20 धारा 147, 323, 332, 353, 427, 506 IPC से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चन्द्रभान यादव पुत्र स्व० रामफेर यादव साकिन नौबरार देवारा जदीद

किता प्रथम थाना महाराजगंज आजमगढ़ को उसके घर से समय 05.20 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 163/2020 धारा 147, 323, 332, 353, 427, 506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

चन्द्रभान यादव पुत्र स्व0 रामफेर यादव साकिन नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम थाना महाराजगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 18/03 धारा 41,411,414,468,471,420 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आमजगढ़।
2. मु0अ0सं0-166/2015 धारा 323,332,353,504,506 भादवि व 7 CLA एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-163/2020 धारा 147,323,332,353,427,506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 छुन्ना सिंह, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना महाराजगंज

अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल बिक्री के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त प्रेमफल पुत्र स्व0 सुरज निवासी अराजी अमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बिना लाईसेन्स के अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल का बिक्री करने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/2020 धारा 3/7 ईसी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03.09.20 को उ0नि0 छुन्ना सिंह, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा मुखबीर की सूचना पर मु0अ0सं0 157/2020 धारा 3/7 ईसी एक्ट से संबंधित वांछित आरोपी प्रेमफल पुत्र स्व0 सुरजु यादव सा0 अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ को सरदहां बाजार से समय 4:30 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 157/20 धारा 3/7 ईसी एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रेमफल पुत्र स्व0 सुरज सा0 अराजी अमानी थाना महाराजगंज जनपद

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं-43/19 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं-34/18 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं-116/16 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं-216/15 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं-4/16 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं-269/13 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं-149/20 धारा 60 Ex. Act थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं-157/20 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 छुन्ना सिंह, उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव, उ0नि0 राजेश प्रसाद मय हमराह थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर

गैर इरादतन हत्या के वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुरानी रंजिश के विवाद को लेकर हुये मारपीट में दि० 28.08.2020 को प्रेमा देवी पत्नी राममूरत मारपीट में घायल हुई थी जिस के संबंध में थाना स्थानीय पर एनसीआर नं० 249/20 धारा 323,504 भादवि पंजीकृत किया गया था इलाज के दौरान मजरूबा प्रेमा देवी पत्नी राममूरत की दिनांक 31.08.2020 को मृत्यू हो जाने पर उसके लड़के से द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 214/20 धारा 323,304,504 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 03.09.2020 प्र०उ०नि अयोध्या तिवारी थाना फूलपुर मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं०-214/20 धारा 323,304,504 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.रामसिंह 2.मानसिंह, 3 दधूबल पुत्रगण रामचेत निवासीगण जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 8:40 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 214/20 धारा 323,304,504 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. रामसिंह पुत्र रामचेत निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. मानसिंहपुत्र रामचेत निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. दधूबल पुत्र रामचेत निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

अयोध्या तिवारी प्र०उ०नि० थाना फूलपुर मय हमराह जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 02.09.2020 को सरायमीर थाना क्षेत्र की वादिनी द्वारा थाने पर लिखित तहरीर दी कि मेरी लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है के साथ अभियुक्त अबू ओबैदा पुत्र अहमद उर्फ पप्पू निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा तथा शादी से इन्कार करता रहा और जान से मारने की धमकी भी दी। वादिनी के तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 163/2020 धारा 376/506 भादवि व ३/४ पाक्सों एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान एसआर केश से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तार व बरामदगी के क्रम में आज दिनांक 03.09.2020 को तलाश वांछित अपराधी के दौरान मु०अ०सं० 163/2020 धारा 376/506 भादवि व ३/४ पाक्सों एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. अबू ओबैदा पुत्र अहमद उर्फ पप्पू निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर ग्राम शेरवाँ से समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 163/2020 धारा 376/506 भादवि व ३/४ पाक्सों एक्ट।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अबू ओबैदा पुत्र अहमद उर्फ पप्पू निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि०विपिन कुमार यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. हे०का० बिहंगल यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. का० राकेश वर्मा थाना सरायमीर आजमगढ़।
4. का० शुभम सिंह यादव थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.05.2020 समय लगभग 7 बजे शाम को बकरी चराने को मना कराने की बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर अपने-अपने हाथों में लाठी, डण्डा एवं लोहे का राड से लैस होकर मां बहन की गाली देते हुए मारना पीटना जिससे वादी को गम्भीर चोटें आईं जिसमें वादी के तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 85/20 धारा 147/148/323/504/506/427/452/326 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 03.09.20 को उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह का0 रजनीश मिश्रा व का0 मोनू कुमार व का0 अभिषेक कुमार सिंह को साथ लेकर बिन्द्रा बाजार से प्रस्थान होकर मु0अ0स0 85/20 धारा 147/148/323/504/506/427/452/326 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगणों की तलाश में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मगरावा गांव के दक्षिण स्थित बागीचे के नजदीक पहुंचे तो बागीचे के पास बने मचाने के तरफ ईशारा करके बताया कि साहब उसी मचाने पर अभियुक्त मौजूद है मुखबीर खास मौके से हट गया कि पुलिस टीम हिक्मत अमली से बागीचे के किनारे किनारे छिपते छिपाते हुये मचाने के नजदीक पहुंची तो मचाने से एक ब्यक्ति कूद कर भागने का असफल प्रयास किये कि मौके पर ही पकड़ लिया गया. पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछते हुये नाम पता पूछा गया तो अपना नाम **इब्राहिम पुत्र अब्दुल वारी ग्राम मगरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़** बताया. पकड़ा गया अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त है अतः कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 85/20 धारा 147/148/323/504/506/427/452/326 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

इब्राहिम पुत्र अब्दुल बारी ग्राम मगरावा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, का0 रजनीश मिश्रा व का0 मोनू कुमार व का0 अभिषेक कुमार सिंह, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़